



PURNEA UNIVERSITY, PURNIA

Dean Students' Welfare

Bihar-854301

Email ID:- dsw@purneau.ac.in

Ref.No:-PUP (09/26 DSW) - 49 /26

Date:- 15.06.2026

U.G.Admission Notice 2026-2030

The date of admission in Four Year Undergraduate Programme under Choice Based Credit System (CBCS) for the session 2026-2030 (1st Semester) in the faculty of Arts, Science and Commerce for Constituent and Affiliated Colleges under Purnea University, Purnia for 1st Merit List is fixed from **16.06.2026 to 19.06.2026**.

For more details please visit Purnea University, Purnia website www.purneau.ac.in

Note:-

1. Under no circumstances, fees more than prescribed by Lok-Bhavan Patna should be charged. As prescribed by Lok Bhavan, Patna, the admission fee for Ist SEM is ₹2,255/- per student. In addition, candidates seeking admission in practical subjects (Science, Geography, Psychology, HomeScience, Music) shall be required to pay an additional fee of ₹600/- towards lab fee.
2. No fee will be charged from SC/ST and all categories of girls students at the time of admission.
3. Candidates selected in the First Merit List must report to their allotted college within the prescribed date with all original documents and complete the admission process. Failure to take admission within the stipulated period shall result in forfeiture of the claim for admission on the basis of this merit list.
4. Admission shall not be granted without physical verification of original academic certificates, caste certificates (if applicable), and submission of the original SLC/TC.
5. The registration process will also be conducted simultaneously with admission process. Therefore, candidates are advised to carry their original Migration Certificate at the time of admission and complete the registration process along with admission.
6. The physical presence of the applicant at the time of admission is mandatory.
7. To ensure a convenient process for students, the verification of certificates will be conducted in class rooms not in open queues. To facilitate this, students will be organized subjectwise.

By order of the Hon'ble Vice-Chancellor,


Dean Student's Welfare





PURNEA UNIVERSITY, PURNIA

Dean Students' Welfare

Bihar-854301

Email ID:- dsw@purneau.ac.in

Memo No.- PUP (09/26 DSW)- 49 /26

Date:- 15.06.2026

Copy to:-

1. All members admission committee Purnea University, Purnia.
2. All Principals/Prof. In-Charge, Constituent/Affiliated Colleges, Purnea University, Purnia.
3. Finance Officer, Purnea University, Purnia.
4. Controller of Examination, Purnea University, Purnia.
5. Deputy Registrar (Academic), Deputy Registrar (Registration), Purnea University, Purnia.
6. Samarth Nodal Officer, Purnea University, Purnia.
7. Media Officer, Purnea University, Purnia.
8. IT-Cell, Purnea University, Purnia with direction to upload on the University website.
9. P.A to Vice-Chancellor /Registrar, Purnea University, Purnia.
10. Notice board.
11. Guard file.


15-06-26
Dean Student's Welfare



Under Graduate स्नातक पाठ्यक्रम


सत्र 2026-2030 में नामांकन हेतु

पूर्णियां विश्वविद्यालय क्षेत्रान्तर्गत महाविद्यालयों के लिए आवश्यक निर्देशिका

1. प्रत्येक महाविद्यालय नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु एक शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ (Admission and Academic Documents Verification Cell) का गठन अनिवार्य रूप से करें।
2. नामांकन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की सुविधा हेतु नामांकन एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ के सदस्यों की सूचि मोबाइल नंबर सहित महाविद्यालय के सूचना पट पर अवश्य रूप से लगा दें। ताकि आवश्यकता होने पर विद्यार्थी सहायता प्राप्त कर सकें।
3. महाविद्यालय में संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया नामांकन एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ के अधीन रहेगी। नामांकन में किसी भी प्रकार की अनियमितता की जवाबदेही प्रकोष्ठ की होगी। महाविद्यालय में नामांकित छात्रों की वैधता की जिम्मेदारी महाविद्यालयों की रहेगी।
4. नामांकन एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ चयनित विद्यार्थियों द्वारा नामांकन हेतु अपलोड किए गए सभी शैक्षिक अंक पत्रों, जाति प्रमाण पत्रों, जेंडर, दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र इत्यादि की जांच एवं भौतिक सत्यापन गहनता से करेंगे।
5. नामांकन सिर्फ ऐसे ही महाविद्यालयों द्वारा ऐसे विषयों में लिया जाए जिनकी मान्यता का पत्र उन्हें बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त है। यदि महाविद्यालय ऐसे विषयों में नामांकन लेता है जिनकी मान्यता उनके पास नहीं है, तो ऐसे नामांकन निरस्त किये जाएंगे। अतः महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों की सूची नामांकन काउंटर पर लगा दी जाए।
6. नामांकन समर्थ पोर्टल से ऑनलाइन माध्यम से ही लिया जायेगा। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन नामांकन न लिया जाये। यदि किसी कर्मचारी/शिक्षक की मिली-भगत से बिना मेधा सूचि में आये विद्यार्थी का नामांकन महाविद्यालय द्वारा लिया गया तो इसे अति गंभीर श्रेणी में मानते हुए आवश्यक विधिसम्मत कार्यवाही की जायेगी।
7. नामांकन के समय ऑनलाइन नामांकन आवेदन में उपलब्ध इंटरमीडिएट के अंक/ सिलेक्शन लिस्ट/ ऑफर लेटर में अंकित मार्क्स तथा जाति को मूल अंक पत्र तथा मूल जाति प्रमाणपत्र से मिलाना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में मूल अंकपत्र अथवा जाति प्रमाणपत्र से मिलान नहीं होने पर नामांकन स्वीकार नहीं करेंगे। नामांकन के पश्चात् ऐसी त्रुटि पाए जाने की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानाचार्य, महाविद्यालय के नामांकन नोडल पदाधिकारी एवं शैक्षणिक आलेख सत्यापन प्रकोष्ठ की होगी।
8. आरक्षण और फीस में छूट का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को ही मिलेगा, अर्थात् बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। किसी अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण अथवा छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
9. नामांकन के लिए Apply केवल Major course विषय में होगा। विश्वविद्यालय द्वारा सिर्फ MJC विषय के लिए ही मेधा सूचि जारी की जायेगी। यदि किसी विद्यार्थी का चयन ऐसे विषय में हो जाता है जो महाविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तब इसकी सूचना तुरंत DSW को उपलब्ध कराई जाए।


15-6-26

10. Science का उत्तीर्ण विद्यार्थी तीनों संकाय में से कोई भी संकाय का Major विषय ले सकेगा। परन्तु Arts और Commerce का नामांकन Science संकाय के विषय में नहीं होगा। Intermediate Commerce एवं Intermediate Arts का उत्तीर्ण विद्यार्थी B.A./B.Com. के किसी भी विषय को MJC (Major) के रूप में चुन सकता है।
11. विद्यार्थियों का नामांकन प्रक्रिया में गठित प्रकोष्ठ विद्यार्थियों से निम्न अभिलेख प्राप्त एवं मिलान करेंगे:-
- Uploaded photo with original candidate face (as per requirement)
 - Xth Marksheet and Certificate and verified with original
 - XIIth Marksheet, Certificate and verified with original
 - CLC/SLC original
 - Migration original (at the time of registration)
 - Caste Certificate If applicable
 - EWS Certificate If applicable [Under Validity period]
 - PwD Certificate If applicable
12. किसी भी कारण से महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्रा का नामांकन स्वीकार नहीं करने की स्थिति में छात्र/छात्रा की सूचना महाविद्यालय द्वारा उसी दिन अध्यक्ष छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय को नाम, विषय, फॉर्म नं तथा कारण के साथ E Mail :Id- dsw@purneau.ac.in भेजनी होगी।
13. इन सबों के अतिरिक्त यदि नामांकन से संबंधित विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या/ त्रुटि सुधार रह जाती है, तब उनके समाधान हेतु आवेदन को महाविद्यालय अपने स्तर से प्राप्त कर उन आवेदनों को त्रुटि सुधार का स्पष्ट कारण लिखते हुए DSW EMail :Id- dsw@purneau.ac.in पर भेज देंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक को विश्वविद्यालय भेजकर नामांकन व्यवस्था को बाधित न किया जाए।
14. मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् तीन वर्षीय अभियंत्रण डिप्लोमा को Intermediate Science के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार के सिलेबस में अभियंत्रण विषयों के अतिरिक्त भौतिकी, रसायनशास्त्र, गणित के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी की भी पढाई होती है। अतः ऐसे आवेदक U.G. में किसी भी विषय में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
15. मैट्रिक उत्तीर्णता के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का NCVT/ SCVT से मान्यता प्राप्त ITI कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् विद्यार्थी यदि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कक्षा 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी की परीक्षा एक ही वर्ष में तथा ITI के परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले वर्ष के साथ अथवा उसके बाद उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण (केवल विज्ञान संकाय- गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र के लिए) के समकक्ष माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदक U.G. में किसी भी विषय में नामांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
16. सभी State Boards के Inter या 10+2 उत्तीर्ण छात्र - छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ उन्ही विद्यार्थियों का नामांकन होगा जो 10+2 या समतुल्य उत्तीर्ण हैं।
17. I.Sc., I.A., I.Com तथा 10+2 उत्तीर्ण छात्र छात्रा का नामांकन/Merit list उसके Aggregate marks पर ही बनेगा।
18. यदि मेधा सूची में चयन होने पर आवेदक अपना नामांकन किसी भी कारण से नहीं लेता है, तब वह इस चयन के आधार पर बाद की किसी भी मेधा सूची की नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा।

 15/06/26

- चयन होने पर नामांकन न लेना का अर्थ उस मेधा सूची की नामांकन प्रक्रिया से बाहर होना है। अर्थात् नामांकन का आधार पूर्व की मेधा सूची में चयन नहीं होगा।
19. प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के अंक प्रतिशत, जाति एवं उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में कट ऑफ अंक से किया जा रहा है। प्रथम मेधा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर, महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों का द्वितीय मेधा सूची का कोटिवार प्रदर्शन किया जाएगा।
 20. महाविद्यालय में नामांकन प्रारंभ होते ही नामांकन लिए विद्यार्थियों की सूची प्रतिदिन के आधार पर E-Mail :ld-admission@purneau.ac.in सांय 06:00 बजे तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।
 21. चूंकि नामांकन के तुरंत पश्चात् पंजीयन का कार्य भी होगा। अतः महाविद्यालय विद्यार्थियों को केवल उन्ही विषय को MIC, MDC के रूप में आवंटित करें जिनकी पढाई उनके महाविद्यालय में होती है। इस हेतु विश्वविद्यालय पंजीयन शाखा पदाधिकारी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जाए।
 22. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों से नामांकन शुल्क राजभवन पटना द्वारा निर्धारित राशि से अधिक न लिया जाये।
 23. किसी भी स्थिति में महाविद्यालय नामांकन फॉर्म, सुविधा शुल्क, महाविद्यालय ब्रोशर या डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाए।
 24. SC/ST श्रेणी के विद्यार्थी तथा सभी वर्गों की छात्राओं से नामांकन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाए।
 25. नामांकन आरंभ तिथि से लेकर अंतिम तिथि को नामांकन काउंटर के पास बड़े बड़े अक्षरों में प्रदर्शित करें।
 26. नामांकन प्रक्रिया के दौरान दलाल अथवा नामांकन के नाम पर आवेदकों का आर्थिक दोहन करने के उद्देश्य से बाहरी तत्व महाविद्यालय में सक्रिय होने की संभावना है। अतः महाविद्यालय गेट पर सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था की जाए तथा सिर्फ नामांकन हेतु आए आवेदक को ही महाविद्यालय में प्रवेश दें।
 27. किसी भी स्थिति में जहाँ नामांकन का कार्य हो रहा हो अथवा Admission and Academic Documents Verification Cell में आवेदक के अतिरिक्त अन्य किसी का भी प्रवेश न होने दे।
 28. नामांकन के समय महाविद्यालय आवेदकों का डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लास रूम में ही करेंगे। खुले स्थान अथवा धूप में लाइन न लगाई जाए।
 29. अधिक गर्मी तथा उमस भरे मौसम के चलते छात्र-छात्रों के लिए पीने हेतु स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए।
 30. विश्वविद्यालय द्वारा जारी सभी नामांकन निर्देशों को महाविद्यालय के सूचना पट पर अवश्य लगा दें।
 31. महाविद्यालय नामांकन प्रक्रिया की तिथियाँ तथा दिशा निर्देश महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए।
 32. महाविद्यालय की पारदर्शी, सुव्यवस्थित नामांकन प्रक्रिया की खबरें लोकल समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये।
 33. किसी भी समस्या के समाधान हेतु छात्र कल्याण अधिष्ठाता से संपर्क किया जा सकता है।
 34. नामांकन की प्रक्रिया रविवार एवं अवकाश के दिनों में भी जारी रहेगी।


15-06-26